भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1330

11.12.2025 को उत्तर के लिए

सड़क-धूल प्रबंधन

1330 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक सड़क-धूल प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मशीनीकृत सफाई करके, जमा हुई धूल के वैज्ञानिक रूप से निपटान के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) :

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धूल मुक्त सड़कों के विनिर्माण और रखरखाव हेतु इसका उपयोग करने के अनुरोध के साथ-साथ एनसीएपी के तहत आने वाले सभी शहरों में 'शहरी सड़कों के डिजाइन, विनिर्माण और रखरखाव तथा धूल नियंत्रण के लिए ट्रैफिक कॉरिडोर को हरा-भरा करने' के मार्गदर्शन दस्तावेजों का प्रसार किया है।

यह सतत शहरी बुनियादी ढांचे और वायु गुणवत्ता में मापने योग्य सुधार सुनिश्चित करने के लिए इंडियन रोड़ कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों को धूल नियंत्रण उपायों, वनस्पति और जल निकासी प्रणालियों जैसे पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ एकीकृत करता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा स्थापित 'धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठों' के माध्यम से एकत्र धूल के वैज्ञानिक रुप से निपटान हेतु दिनांक 11.06.2021 के निर्देश के माध्यम से निर्धारित किया है।
